Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **एसीबी की बड़ी सफलता, 30 लाख रूपये के रिश्वत प्रकरण में 09–10 माह से फरार तत्कालीन पटवारी नरेन्द्र मीणा गिरफ्तार।**

जयपुर, दिनांक 28 जुलाई, 2026। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी), राजस्थान द्वारा भ्रष्टाचार के मामलों में फरार आरोपियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करते हुए एसीबी जयपुर ने वर्ष 2025 के बहुचर्चित **30 लाख रूपये** के रिश्वत प्रकरण में लगभग 09–10 माह से फरार चल रहे आरोपी **नरेन्द्र मीणा, तत्कालीन पटवारी, पटवार हल्का हाथोज, तहसील कालवाड़, जिला जयपुर** को गिरफ्तार किया है।

प्रकरण के संबंध में **महानिदेशक, एसीबी श्री गोविंद गुप्ता** ने बताया कि परिवादी द्वारा वर्ष 2025 सितंबर माह में एसीबी को शिकायत प्रस्तुत की गई थी कि हाथोज क्षेत्र स्थित उसकी लगभग 10 बीघा भूमि का नामान्तरण खोलने की एवज में तत्कालीन पटवारी नरेन्द्र मीणा द्वारा स्वयं एवं तत्कालीन तहसीलदार के नाम पर 50 लाख रूपये रिश्वत की मांग की जा रही है।

शिकायत का एसीबी द्वारा नियमानुसार सत्यापन कराया गया, जिसमें रिश्वत मांग की पुष्टि हुई। सत्यापन के दौरान यह भी प्रमाणित हुआ कि आरोपी द्वारा बाद में रिश्वत राशि 30 लाख रूपये पर तय की गई तथा राशि अपने कथित मध्यस्थ विकास शर्मा के माध्यम से प्राप्त करने की योजना बनाई गई।

दिनांक 21 सितम्बर 2025 को एसीबी द्वारा योजनाबद्ध ट्रैप कार्रवाई की गई, जिसमें आरोपी नरेन्द्र मीणा के निर्देशानुसार उसके सहयोगी एवं मध्यस्थ विकास शर्मा को 30 लाख रूपये की रिश्वत राशि प्राप्त करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया था। ट्रैप के दौरान मुख्य आरोपी नरेन्द्र मीणा मौके से फरार हो गया था।

अनुसंधान के दौरान यह प्रमाणित हुआ कि आरोपी नरेन्द्र मीणा ने अपने सहयोगी विकास शर्मा के साथ मिलीभगत कर परिवादी से भूमि का नामान्तरण खोलने की एवज में अवैध रिश्वत राशि की मांग की तथा उसे मध्यस्थ के माध्यम से प्राप्त करने का प्रयास किया। आरोपी के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (संशोधित 2018) की धारा 7 एवं भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 61(2) के अंतर्गत अपराध प्रमाणित पाया गया।

एसीबी द्वारा फरार आरोपी को अनुसंधान में उपस्थित होने के लिए धारा 35(3), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) के अंतर्गत विधिवत नोटिस भी जारी किया गया था, किन्तु आरोपी उपस्थित नहीं हुआ तथा लगातार फरार रहा।

एसीबी टीम द्वारा आरोपी की लगातार तलाश की जा रही थी। सतत निगरानी के आधार पर प्राप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए आज एसीबी टीम ने जयपुर के चम्पापुरा, कालवाड़ रोड स्थित आरोपी के निवास पर दबिश देकर उसे गिरफ्तार कर लिया।

यह कार्रवाई एसीबी के **उप महानिरीक्षक –प्रथम डॉ. रामेश्वर सिंह** के सुपरविजन में **श्री विजय सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक**, स्पेशल यूनिट–द्वितीय, एसीबी जयपुर के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा की गई।

एसीबी की **अतिरिक्त महानिदेशक श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव एवं महानिरीक्षक श्रीमती एस. परिमला** के सुपरविजन में गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ एवं अनुसंधान जारी है। आरोपी को माननीय न्यायालय में पेश कर पुलिस अभिरक्षा रिमाण्ड प्राप्त किया जाएगा।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की **टोल फ्री हेल्पलाइन नम्बर 1064 एवं व्हाट्सएप हेल्पलाइन नम्बर 9413502834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी सहायता करेगी